भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 532

जिसका उत्तर बृहस्पतिवार, 27 नवंबर, 2014 को दिया जाना है

सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों को बंद किया जाना

532. श्री राजकुमार धूत:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसका सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के इन उपक्रमों में से प्रत्येक उपक्रम को बंद किये जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क): जी, हां।

(ख): आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 28 फरवरी, 2014 को आयोजित अपनी बैठक में हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स लि. (एचपीएफ) के सभी कर्मचारियों को 2007 नोशनल वेतनमानों पर वीआरएस देने और कंपनी को बंद करने के लिए आगे की कार्रवाई के लिए अनुमोदन दिया था। यह वीआरएस माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश की वजह से नहीं दिया जा सका था। तथापि, मद्रास उच्च न्यायालय ने 09.09.2014 के अपने हालिया आदेश, 16.09.2014 के यथासंशोधित आदेश के द्वारा इच्छुक कर्मचारियों को वीआरएस लेने की अनुमति प्रदान की है।

(ग): लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) ने इसके प्रचालनों की मौजूदा स्थिति और भावी परिदृश्य की समीक्षा करने के पश्चात् अन्य बातों के साथ-साथ, यह टिप्पणी की है कि कंपनी के मूल कार्यकलाप पूर्णतः अनुत्पादक होने के कारण और हाल ही में विविधिकरण के विभिन्न प्रयास असफल हो जाने के आलोक में कंपनी को बंद किया जाना ही एकमात्र विवेकपूर्ण समाधान प्रतीत होता है।

****